न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 93/2017 एल.आर.एक्ट

1. सुनीता रानी पत्नी स्व. श्याम सुन्दर जाति सेतियां (अरोड़ा) साकिन वार्ड नं0 18 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट

.....

बनाम

1. ध्रुव
2. ओदिल

पुत्रगण राधारानी नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता राधारानी जाति अरोड़ा साकिन चूनावढ हाल मकान नम्बर 101 गली नं03 सेतिया फार्म श्रीगंगानगर ।

3. राजस्थान सरकार ।

.....**रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थितः 1– श्री विजय कुमार अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 11.6.2019

1. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) चूनावढ के निर्णय दिनांक 30–8–2017, जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंटसं0 1–2 की माता राधारानी पत्नी श्यामसुन्दर का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने प्रार्थना पत्र पैतृक भूमि होने के आधार पर खारिज किया गया तथा श्रीमती सुनीता रानी पत्नी स्व.श्यामसुन्दर का प्रार्थना पत्र बाबत विरास्तन इन्तकाल सिविल वाद विचाराधीन होने के आधार पर अस्वीकार किया गया, के विरुध्द अपीलान्ट सुनिता रानी द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 की माता (नाबालिग संरक्षिका) श्रीमती राधारानी सेतिया पत्नी श्याम सुन्दर जाति अरोड़ा निवासी चूनावगढ ने उप तहसीलदार चूनावढ के समक्ष दिनांक 13.4.17 को प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 25 जीजी के मु0 नं0 12 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि श्यामसुन्दर पुत्र दुनीचन्द अरोड़ा के नाम खातेदारी की स्वअर्जित कृषि भूमि है, जिसकी वसीयत स्वर्गीय श्यामसुन्दर द्वारा उसके नाबालिग पुत्रों ध्रुव व आदिल के नाम दिनांक 23.11.16 को निष्पादित की गयी है । श्यामसुन्दर का दिनांक 20.1.17 को देहान्त हो गया है । अतः वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे । राधारानी पत्नी स्व. श्यामसुन्दर के उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जिसमें वसीयत की गयी 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि को मुताबिक जमाबन्दी 2068–2071 श्यामसुन्दर पुत्र दुनीचन्द अरोड़ा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज होना तथा वसीयत किया गया रकबा पैतृक भूमि होना बताया गया । पटवारी हल्का द्वारा यह भी रिपोर्ट की गयी कि वसीयत कर्ता की पहली पत्नी सुनीता पत्नी श्यामसुन्दर जाति अरोड़ा नि0 अनूपगढ द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र (सभापति श्रीगंगानगर) जो अकेली सुनीता के नाम से जारी हुआ है, की प्रति प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया हुआ है तथा विवादित भूमि तेजवन्तसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जटसिख सा0 9 जी छोटी द्वारा राधारानी पत्नी श्यामसुन्दर से ठेका पर लेकर काश्त किया जा रहा है । पटवारी हल्का से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप तहसीलदार चूनावढ़ द्वारा वसीयति जांच प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर पत्रांक 167 दिनांक 27.4.17 द्वारा दैनिक समाचार पत्र प्रताप केशरी में दिनांक 2.5.17 को सावजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया । वसीयति जांच प्रकरण में उप तहसीलदार चूनावढ के समक्ष राधारानी द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि प्रकरण में न्यायालय सेशन न्यायाधीश श्री गंगानगर के समक्ष विविध दिवानी प्रकरण सं0 18/17 अनवान ध्रुव बनाम हरखास आम बाबत वसीयत प्रोबेट एवं सम्पत्ति की व्यवस्था के लिए आवेदित के पक्ष में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने हेतु विचाराधीन है । उप तहसीलदार चूनावढ़ ने वसीयति प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.4.17 एवं प्रस्तुत वसीयति दस्तावेज एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन कर निर्णय दिनांक 30.8.2017 पारित कर वसीयत में वर्णित भूमि को पैतृक मानाते हुए राधारानी पत्नी स्व. श्यामसुन्दर का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं जिला न्यायालय में दिवानी वाद सं0 18/2017 अनवान ध्रुव बनाम हरखास आम विचाराधीन होने से अपीलान्ट सुनीता रानी का विरास्तन नामान्तरकरण का प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया तथा यह विकल्प दिया कि सिविल कोर्ट का निर्णय होने पर प्रार्थीगण पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हतु स्वतंत्र होंगे । न्यायालय उप तहसीलदार चूनावढ द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 30.8.17 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 की ओर से वरवक्त बहस कोई भी उपस्थित नहीं हुए । अतः प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 25 जीजी के मुरब्बा सं0 12 की 12.10 बीघा नहरी भूमि दुनी चन्द पुत्र मालीराम व गुरादित्ति पत्नी दुनीचन्द के नाम से खातेदारी थी । उनके देहान्त के पश्चात वारिसान के हक में विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ । तत्पश्चात बहनों ने भाईयों के पक्ष में हक त्याग करने पर दस्तबरदारी का इन्तकाल सं0 323 दिनांक 3.7.06 स्वीकृत होने पर उक्त भूमि ताराचन्द–श्यामसुन्दर पि0 दुनीचन्द के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई तथा मुताबिक बंटवारा होने पर नामान्तरकरण सं0 324 दिनांक 14.9.2006 द्वारा उक्त मुरब्बा नं0 12 की 1.581 हैक्टेयर भूमि श्यामसुन्दर पुत्र दुनीचन्द अरोड़ा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई । श्यामसुन्दर का दिनांक 20.1.2017 का देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट सुनिता रानी जो कि श्यामसुन्दर की बेवा है, के द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 24.3.17 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 की माता राधारानी द्वारा वसीयत के आधार पर वसीयति नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । विवादित भूमि श्रीगंगानगर जिले में है एवम् उसकी वसीयत उत्तरप्रदेश गाजिया बाद में की जाती है तो वह सन्देहास्पद हो जाती है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश

माननीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 30.8.17 द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 की संरक्षक माता राधारानी पत्नी श्यामसुन्दर का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि वसीयत का रकबा पैतृक भूमि है। यह निर्णय उचित है । परन्तु अपीलान्टा सुनिता रानी पत्नी स्व. श्यामसुन्दर का विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ध्रुव की ओर से वसीयत को प्रोबेट कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद सं0 18/2017 विचाराधीन है । जबकि राजस्थान में वसीयत को प्रोबेट करवाया जाना आवश्यक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि सिविल वाद विचाराधीन होने से विरास्तन इन्तकाल नहीं हो सकता है । जबकि प्रार्थीया अपीलान्ट सुनीता रानी स्वर्गीय श्यामसुन्दर पहली पत्नी है तथा पेश किये गये वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर एक मात्र जायज वारिस है । अतः पुश्तैनी भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि को पैतृक होना माना है और पैतृक भूमि की वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं हो सकता है । यह कि अपीलान्ट मृतक श्यामसुन्दर की बेवा है । पूर्व में बहकावे में आकर मृतक श्याम सुन्दर ने तलाक का मुकदमा दर्ज करवाया था, जो दिनांक 14.5.15 को जरिये राजीनामा विड्रा करवा लिया था । इस कारण मृतक की जायज वारिस अपीलान्ट ही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की हद तक निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक श्यामसुन्दर की भूमि का विरास्त इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1993 पेज 343, आरआरडी 1986 पेज 135, आरआरडी 2002 पेज 280, आरआरडी 2006 पेज 190 एवं आरआरडी 2007 पेज 672 अवलोकनीय बताया ।

5. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात रिकॉर्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्याम सुन्दर सेतिया द्वारा निष्पादित अन्तिम वसीयत दिनांक 23.11.16 को प्रोबेट एवं उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था के लिए आवेदिका के पक्ष में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कराने हेतु न्यायालय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष विविध प्रकरण सं0 18/17 अनवान ध्रुव–ओदिल पि0 श्यामसुन्दर जरिये कुदरती वली माता राधारानी बनाम हरखास आम व सुनिता रानी विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र उचित ही खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पक्षकारों की बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख से निम्नप्रकार स्थिति स्पष्ट होती है :–

I. अभिलेख अनुसार चक 25 जीजी के मुरब्बा मुरब्बा नं0 12 की 1.581 हैक्टेयर पैतृक भूमि श्यामसुन्दर पुत्र दुनीचन्द अरोड़ा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । श्यामसुन्दर का दिनांक 20.1.2017 का देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट सुनिता रानी जो कि श्यामसुन्दर की बेवा है, के द्वारा उसके पक्ष में विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 24.3.17 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया एवम् इसी भूमि के सम्बन्ध में श्रीमती राधारानी सेतिया पत्नी स्व.श्यामसुन्दर द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज

करने हेतु दिनांक 13.4.17 को उप तहसीलदार चूनावढ के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया ।

II. उप तहसीलदार चूनावढ़ ने वसीयति प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.4.17 एवं प्रस्तुत दस्तावेज एवं विरास्तन इन्तकाल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर निर्णय दिनांक 30.8.2017 पारित कर वसीयत में वर्णित भूमि को पैतृक मानते हुए राधारानी पत्नी स्व. श्यामसुन्दर का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा जिला न्यायालय में दिवानी वाद सं0 18/2017 अनवान ध्रुव वगैरह बनाम हर आम खास एवं सुनिता रानी विचाराधीन होने से अपीलान्ट सुनीता रानी का विरास्तन नामान्तरकरण का प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया तथा यह विकल्प दिया कि सिविल कोर्ट का निर्णय होने पर प्रार्थीगण पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हतु स्वतंत्र होंगे ।

7. अपीलान्ट सुनिता रानी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी द्वितीय अपील में मुख्य रुप से यह आधार लिया है कि विवादित भूमि पैतृक है, जिसका वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज नहीं हो सकता है । मृतक श्याम सुन्दर द्वारा तलाक का मुकदमा वापिस लिये जाने के बाद अपीलार्थी सुनीता रानी ही स्व. श्यामसुन्दर की जायज वारिस है । अतः वह विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने की पात्र है ।

8. न्यायालय के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने स्वर्गीय श्याम सुन्दर द्वारा निष्पादित की गयी वसीयत दिनांक 23.11.16 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु श्रीमती राधारानी सेतिया पत्नी स्व.श्यामसुन्दर द्वारा वसीयति नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 13.4.17 को उप तहसीलदार चूनावढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उप तहसीलदार, चूनावढ द्वारा नियमानुसार जांच एवं सुनवाई के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.8.17 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.4.17 इस आधार पर खारिज किया गया है कि विवादित भूमि पैतृक है एवम् पैतृक भूमि का वसीयत के आधार पर इन्तकाल नहीं हो सकता है । हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से आंशिक आधार पर सहमत हैं । क्योंकि कोई भी खातेदार पैतृक भूमि में अपने हिस्से तक की वसीयत कर सकता है । प्रकरण में वसीयत रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 क्रमशः ध्रुव व आदिल नाबालिग जरिये माता राधारानी के पक्ष में निष्पादित हुई है । वसीयत इन्तकाल के बाबत पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21.4.17 के अनुसार विवादित रकबा तेजवन्तसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जटसिख निवासी 9 जी छोटी द्वारा राधारानी पत्नी श्यामसुन्दर (रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 की माता) से ठेका पर लेकर काश्त की जा रही है । इससे यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि पर राधारानी पत्नी श्यामसुन्दर के धारण में है । जहां तक श्यामसुन्दर का दिनांक 20.1.2017 को देहान्त होने के पश्चात् अपीलान्ट सुनिता रानी का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.3.17 के निरस्त करने का प्रश्न है, अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में की गयी वसीयत को प्राबेट कराने के सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश श्री गंगानगर के समक्ष रेस्पोन्डेंट सं01–2 का विविध प्रकरण आवेदन सं0 18/17 विचाराधीन है एवम् दिवानी वाद से विवादित भूमि प्रभावित होगी । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के इस भाग से पूर्णतः सहमत हैं कि दोनों पक्षों के मध्य जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर

के समक्ष वसीयत के प्रोबेट का आवेदन पत्र विचाराधीन है एवम् प्रकरण में सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही सम्पन्न होगी ।

9. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार (भू0अ0) चूनावढ का अपीलाधीन आदेश दिनाक 30.8.17 जिसके द्वारा अपीलान्ट सुनिता रानी का विरास्तन नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 24.3.17 एवं श्रीमती राधारानी सेतिया का वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.4.17 अस्वीकार किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एव उप तहसीलदार चूनावढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.8.17 यथावत रखा जाता है ।

10. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.6.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर